


पञ्जाब लोक अदालत अधिनियम 2015
 मूल कानून द्वारा
 सपखण्ड लाखेरी / आधीन / इत्यादि

6-6-2018

पञ्जाबली शासन लोक अदालत अधिनियम 2015 के अन्तर्गत
 सपखण्ड लाखेरी के अधीन में
 काठिनी मसला व अहैवारी धायूकाई व मंधराज
 हाकिम आये अहैवारी द्वारा वाद वाकिफ कृषि भूमि
 का विक्रय व की हानि प्राप्त चेथ हि काठिनी
 द्वारा बेचान करना स्वीकार किया काठिनी
 द्वारा जाहिर किया हि वाद वाकिफ कृषि भूमि
 बेचान अहैवारी को 12-1-18 को बेचान
 कर दिया गया है कि वाद को चलाना नहीं
 चाहती हु वाद खारिज कर दिया जावे।
 काठिनी व अहैवारी एवं गवाह की उपस्थिति
 में वाद काठिनी खारिज किया जाता है।
 हस्ताक्षर पञ्जाबली कराये गये पञ्जाबली
 नम्बर से कम दोसर दायित्व दायर है।

ममता (काठिनी)




अहैवारी

मैथराज सोनी

गवाह

राजेश कुमार

राज.


 सपखण्ड अधिकारी
 लाखेरी (बून्दी)